UPAD010056272014

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 2, प्रयागराज

उपस्थित– श्रीमती अनुराधा पुण्डीर .... एच0जे0एस0

सत्र परीक्षण संख्या–1134/2014

उत्तर प्रदेश राज्य .... अभियोजन पक्ष

प्रति

सारिक पुत्र अजीमुद्दीन उर्फ पण्डित निवासी मुबारकपुर, थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद/प्रयागराज। .... अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या 314/2011
अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद/प्रयागराज

<u>संक्षित विवरण</u>

1.	अपराध संख्या	314/2011
2.	अन्तर्गत धारा	4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम
3.	थाना	नवाबगंज
4.	जनपद	इलाहाबाद/प्रयागराज
5.	नाम अभियुक्त	सारिक
6.	नाम वादी	एस0आई0 श्री नरेन्द्र सिंह
7.	अपराध की तिथि	30.07.2011
8.	अपराध का समय	20.30 बजे
9.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	30.07.2011
10.	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का समय	22.35 बजे
11.	प्रसंज्ञान की तिथि	06.03.2012

12.	सत्र सुपुदर्गी का दिनांक	22.09.2014
12.	आरोप विरचन की तिथि	29.11.2014
13.	बयान 313 दं0प्र0सं0 अंकन की तिथि	01.09.2025
14.	बहस सुनने की तिथि	07.07.2026
15.	निर्णय पारित करने की तिथि	21.07.2026
16.	निर्णय का निष्कर्ष	अभियुक्त सारिक को थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 314/2011 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपित आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है।

निर्णय

1. अभियुक्त सारिक के विरूद्व मुकदमा अपराध संख्या 314/2011 धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत थाना–नवाबगंज, जिला इलाहाबाद/प्रयागराज की पुलिस द्वारा न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रयागराज में आरोप पत्र प्रेषित किया गया, जिसपर आदेश दिनांक 06.03.2012 द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें उपलब्ध कराकर न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या 10, प्रयागराज द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.09.2014 से मामला सत्र सपुर्द किया गया। जहां सत्र परीक्षण संख्या 1134/2014 के रूप मे पंजीकृत हुआ। माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रयागराज के आदेश दिनांकित 28.01.2026 द्वारा उक्त सत्र परीक्षण, अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 02 प्रयागराज के न्यायालय मे अन्तरित किया गया।

2. फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 के अनुसार अभियोजन कथानक संक्षिप्ततः इस प्रकार है कि दिनांक 30.07.2011 को वादी मुकदमा नरेन्द्र सिंह मय हमराही का0 263 दिवाकर सिंह, का0 70 इबरार अक्तर के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अपराधी व संदिग्ध व्यक्ति में ओ.पी. डांडी के रोजनामचाआम संख्या 10 समय 19.00 बजे रवाना होकर ग्राम खिजिरपुर, भिरवनापुर होते हुए मुबारकपुर–भिखनापुर तिराहा कुटेसर मार्ग पर मौजूद था। पुलिस वाले आपस में अपराध एवं अपराधियों के संबंध में आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक व्यक्ति कौड़िहार की तरफ से पैदल–पैदल तिराहे की ओर आ रहा था कि टार्च की रोशनी जलाकर

देखा तो आने वाला व्यक्ति अपने दाहिने हांथ में झोला लिए हुए था कि पुलिस वालों की आहट पाकर अचानक पीछे मुड़कर तेज कदमों से पुनः कौड़िहार की तरफ जाने वाली सड़क पर जाने लगा व भागने लगा कि पूर्ण विश्वास होने पर कि यह व्यक्ति अपराध है तथा अपराध से संबंधित कोई वस्तु लिया है, उसे वादी मुकदमा मय हमराही पुलिस बल की मदद से दौड़ाकर घेरकर करीब 50 कदम जाते–जाते पकड़ लिया गया। नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम सारिक पुत्र अजीमुद्दीन उर्फ पंडित निवासी मुबारकपुर, थाना नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद बताते हुये माफी मांगने लगा और कहने लगा कि साहब मेरे झोले में बम है, मेरी गांव में आपसी दुश्मनी है, मैं अपने बचाव के लिए बम अपने घर ले जा रहा हूँ। झोला देखा गया तो उसमें 6 अदद देशी बम मिले, जिसे रखने का प्रमाण पत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहा। उक्त व्यक्ति का यह कार्य अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का जुर्म बाखूबी आयत है। आरक्षी 263 दिवाकर सिंह द्वारा पास के गांव मिखनापुर भेजकर प्लास्टिक के डिब्बे में बालू व पानी मंगाकर उसमें बमों को सावधानी पूर्वक डालकर निष्क्रिय किया गया। सारिक उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर समय करीब 20.30 बजे हिरास पुलिस में लेकर गिरफ्तार किया गया तथा बरामद निष्क्रिय बमों को कब्जा पुलिस में लिया गया। झोले को एक सफेद कपड़े में सीलकर सर्वमोहर नमूना मोहर तैयार किया गया। फर्द मौके पर टार्च की रोशनी में लिखकर, पढ़कर सुनाकर गवाही, गवाहम बनवाये जा रहे हैं। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मानवाधिकार आयोग व उच्चतम् न्यायालय के आदेश व निर्देशों का पालन किया व कराया गया। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना अभियुक्त के घर थाने से भेजवायी जायेगी। बरामद निष्क्रिय बमों को प्लास्टिक के डिब्बे पर चिटबन्दी की गयी। फर्द की नकल अभियुक्त को दी जा रही है। दौरान कार्यवाही राहगीरों से गवाही के लिए कहा गया तो परेशानी की बात कहकर बिना पता बताये चले गये।

3. फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 के आधार पर दिनांक 30.07.2011 को समय 22.35 बजे पर अभियुक्त सारिक के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 314/2011 अन्तर्गत धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना जार्जटाउन जिला इलाहाबाद का अभियोग चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 पर पंजीकृत किया गया तथा मुकदमें की प्रविष्टि रोजनामचाआम प्रदर्श क–2 रपट नं. 3 समय 22.35 दिनांक 30.07.2011 पर की गयी। मुकदमें की विवेचना एस.आई. श्री ए0पी0 पाण्डेय द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मानचित्र घटना स्थल प्रदर्श क–4 तैयार किया तथा विवेचना के दौरान साक्षियों के बयान अंकित करने के उपरान्त एकत्रित साक्ष्य के

आधार पर अभियुक्त सारिक के विरूद्ध आरोप पत्र प्रदर्श क–5 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जिसपर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इलाहाबाद/प्रयागराज द्वारा दिनांक 06.03.2012 को अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया और अभियुक्त अभियोजन प्रपत्रों की नकले धारा 207 द0प्र0सं0 के अनुपालन प्रदान करते हुये अभियुक्त का प्रकरण न्यायालय ए0सी0जे0एम0 कक्ष संख्या 10 द्वारा दिनांक 22.09.2017 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया।

4. अभियुक्त सारिक के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम दिनांक 29.11.2014 को विरचित किया गया। अभियुक्त ने उक्त आरोप से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग किया।

5. अभियोजन साक्ष्य हेतु पत्रावली नियत होने पर अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित मौखिक साक्षी परीक्षित कराये गये :–

कम सं.	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1	पी0डब्लू0 01	हे0का0 प्रमोद कुमार तिवारी
2	पी0डब्लू0 02	सेवा निवृत्त उप निरीक्षक दिवाकर सिंह

6. अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं :–

क0सं0	**अभिलेख**	**प्रदर्श**	**किस साक्षी द्वारा साबित कराया गया**
1	चिक एफ0आई0आर0	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0 01
2	कायमी जी0डी0	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0 01
3	फर्द बरामदगी	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0 02
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0 02
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0 02
6	अभियोजन स्वीकृति आदेश	कागज सं. 8क/1	....
7	विधि विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट	न्या0प्रदर्श–1	....

7. अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने धारा–313 दण्ड प्रकिया संहिता के बयान में अभियोजन कथानक के संबंध में फर्जी तरीके से 06 बमों की बरामदगी दिखाये

जाने का कथन किया गया है। पी0डब्लू0 1 द्वारा रंजिशन झूठी गवाही दिया जाने तथा पी0डब्लू0 2 द्वारा सारी बातें मनगढन्त आधारों बताने तथा केवल रंजिशन गवाही देने का कथन प्रस्तुत किया है। अभियुक्त द्वारा अभियोजन प्रपत्रों की अनौपचारिक सत्यता स्वीकार करने तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के संबंध में पुलिस द्वारा झूठी परीक्षण रिपोर्ट तैयार कराये जाने का कथन किया है और सफाई साक्ष्य में गांव के सम्भ्रान्त व्यक्तियों को बतौर साक्षी पेश करने का कथन प्रस्तुत किया है।

8. बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के रूप में डी0डब्लू0 नूरूल हक को परीक्षित कराया गया है।

अभियोजन साक्ष्य :–

9. अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक के समर्थन में **पी0डब्लू0 1** के रूप में हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार तिवारी द्वितीय साक्षी के रूप में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ साक्ष्य देते हुये कथन प्रस्तुत किया है कि ''....मैं वर्तमान में पैरोकार थाना नवाबगंज, जनपद प्रयागराज में नियुक्त हूॅ। का0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी मेरे साथ तैनात रहे हैं। मेने उनको लिखते–पढ़ते देखा है तथा उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर को अच्दी तरह से जानता व पहचानता हूॅ। पत्रावली में मौजूद चिक एफ0आई0आर0 संख्या 176/2011 मु0अ0सं0 314/2011 अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम उनके हस्तलेख (का. राकेश त्रिपाठी) व हस्ताक्षर में है। उक्त मुकदमा थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद के नाम दर्ज है, जिसे तस्दीक करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। पत्रावली में संलग्न रोजनामचा (जी0डी0) रपट संख्या 37 समय 22.35 दिनांक 30.07.2011 की कार्बन प्रति पत्रावली में शामिल मिसिल है। उक्त जी0डी0 का0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी के ही हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, जिसे मैं तस्दीक करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।...''

10. अभियोजन पक्ष की ओर से **पी0डब्लू0 2** के रूप में मामले के फर्द साक्षी सेवा निवृत्त उप निरीक्षक दिवाकर सिंह को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में सशपथ साक्ष्य देते हुये कथन प्रस्तुत किया है कि ''...दिनांक 30.07.2011 को मैं एस0आई0 नरेन्द्र सिंह के साथ हमराही के रूप में ड्यिूटी पर था, जो देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित अपराधी व संदिग्ध व्यक्ति ग्राम खिजिरपुर, भिरवनापुर होते हुए मुबारकपुर तिराहा कुरेसर मार्ग पर मौजूद था। आपस में हम लोग अपराध एवं अपराधियों के संबंध में बातचीत कर रहे थे तभी एक व्यक्ति कौड़िहार की तरफ से पैदल तिराहे की ओर आ रहा था टार्च की रोशनी जलाकर

देखा तो वह व्यक्ति दाहिने हांथ में एक झोला लिए हुए था। हम पुलिस वालों की आहट पाकर अचानक तेज कदमों से पीछे मुड़कर कौड़िहार की ओर भागने लगा। पूर्ण विश्वास होने पर कि वह व्यक्ति अपराध है, अपराध से संबंधित कोई वस्तु लिया है, उसे दौड़ाकर घेरकर करीब 50 कदम जाते–जाते पकड़ लिया गया। नाम पता पूछा गया और जामा तलाशी ली गयी, जिसने अपना नाम सारिक पुत्र अजीमुद्दीन उर्फ पंडित निवासी मुबारकपुर, थाना नवाबगंज, जनपद इलाहाबाद बताया और माफी मांगने लगा कि साहब मेरे झोले में बम है, गांव में मेरी दुश्मनी है, अपने बचाव के लिए अपने घर ले जा रहा हूॅ। झोला में देखा गया तो 6 देशी नाजायज बम बरामद हुआ। प्रमाण पत्र मांगा गया, दिखाने में कासिर रहा, जिसे जुर्म की धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का बोध कर समय 20.30 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। बरामद बमों को बालू व पानी मंगाकर निष्क्रिय किया गया। दौरान गिरफ्तारी व बरामदगी मानवाधिकार आयोग व उच्चतम् न्यायालय के आदेश व निर्देश का पालन किया। निष्क्रिय बमों को प्लास्टिक के डिब्बो में रखकर चिटबन्दी किया गया, फर्द मौके पर समक्ष गवाहान लिखी गई थी। राहगीरों को गवाही के लिए कहा गया। भलाई–बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ। फर्द ए0आई0 नरेन्द्र सिंह द्वारा लिखी गई, जिसमें मेरे भी दस्तखत हैं, जो संलग्न पत्रावली कागज संख्या 6अ/1 है, की पहचान कर पुष्टि करता हूॅ, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया।...''

बचाव साक्ष्य :–

11. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्षी के रूप में **डी0डब्लू0 1** नूरूल हक को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी **मुख्य परीक्षा** में कथन प्रस्तुत किया है कि ''....मैं उपरोक्त गांव का मूल निवासी हूॅ और मो0 सारिक के परिवार का सदस्य नहीं हूॅ। मैं मो0 सारिक के संबंध में अच्छी तरह से जानता हूॅ और उनका चाल चलन शान्तिपूर्ण तरीके का है और मो0 सारिक के विरूद्ध थाना हाजा, नवाबगंज व जनपद के किसी भी थाने में इनके विरूद्ध उपरोक्त मुकदमे के अलावा कोई भी मुकदमा न तो पंजीकृत है और न ही कोई मुकदमा विचाराधीन है। यह बयान में बिना किसी दबाव के अपनी स्वस्थ मष्तिष्क की दशा में न्यायालय में दे रहा हूॅ।....''

विवेचन

12. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

13. उभय पक्ष की बहस सुनने व प्रस्तुत साक्ष्य एवं अभियुक्त के विरूद्व अधिरोपित आरोप की पृष्ठभूमि में अब न्यायालय द्वारा घटना के अनेक पहलुओं को पर विचार किया जाना आवश्यक है। अभियोजन पक्ष द्वारा बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 02, जो कि प्रस्तुत मामले में फर्द बरामदगी का साक्षी है, के द्वारा तथा पी0डब्लू0 1 जो प्रस्तुत मामले की चिक एफ0आई0आर0 लेखक का द्वितीयक साक्षी है, के द्वारा अपने–अपने साक्ष्यों में अभियोजन कथानक का समर्थन किया गया है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट न्यायालय प्रदर्श–1 के अनुसार अभियुक्त अभिरक्षा से बरामद बम के अवयव में पोटैशियम, नाईट्रेट, सल्फर व चारकोल पाये है। प्रस्तुत मामले में जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन कथानक पूर्णरूपेण सिद्ध है और अभियुक्त सारिक दोषसिद्ध किये जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्त सारिक को दोष सिद्ध किया जाये। इसके विपरीत बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त निर्दोष है, पुलिस द्वारा उसे झूठा फंसाया गया है। उसके पास कोई बरामदगी नहीं हुई है। कथित फर्द बरामदगी का कोई स्वतन्त्रजन साक्षी नहीं है और अभियोजन पक्ष की ओर से तथ्य के सभी साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। वास्तविकता यह है कि मामले के विवेचक व हमराहियान सिपाहीगण द्वारा अभियुक्त को अपने ट्रैक्टर पर सामान लाद कर थाने ले जाने की बात कही गई, मेरे इंकार करने पर फर्जी बरामदगी दिखा कर यह मुकदमा लिखा दिया गया है। अभियुक्त के आचरण के संबंध में गांव के सम्भ्रान्त व्यक्ति नूरूल हक ने डी0डब्लू0 1 के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत किया है कि उसका चाल चलन शान्तिपूर्ण रहा है। अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

14. अभियोजन पक्ष का विचारण का सामना कर रहे अभियुक्त मो0 सारिक के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 30.07.2011 को समय करीब 08.30 बजे रात बहद स्थान ग्राम भिखनापुर तिराहा के पास अन्तर्गत थाना नवाबगंज, जिला इलाहाबाद में अभियुक्त को थाना पुलिस नवाबगंज इलाहाबाद द्वारा गिरफ्तार किया गया और नियमानुसार अभियुक्त की जामा तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से 06 अदद देशी बम नाजायज बरामद हुआ, जिसे अभियुक्त मानव जीवन को संकटापन्न या सम्पत्ति को क्षति कारित करने के लिए रखा था, जिस रखने का अभियुक्त के पास कोई अधिकार पत्र नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त आरोप को साबित करने के लिए पी0डब्लू0 1 व पी0डब्लू0 2 के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की बहस सुनने व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं अभियुक्त के विरूद्ध अधिरोपित आरोप की पृष्ठभूमि में घटना के अनेक पहलुओं पर विचार करते हुए अब न्यायालय को यह अवधारित करना है कि अभियोजन पक्ष अपने इस दायित्व को निर्वहन करने में किस–सीमा तक सफल रहा है ?

15. अभियोजन के अनुसार दिनांक 30.07.2011 को समय करीब 20.30 बजे रात ग्राम खिजिरपुर, भिरवनापुर होते हुये मुबारकपुर–भिखनापुर तिराहा कुटेसर मार्ग पर अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उसके कब्जे से 06 अदद देशी बम बरामद होना कहा जाता है। इस संबंध में अभियोजन की ओर फर्द के एक मात्र परीक्षित साक्षी पी.डब्लू. 2 दिवाकर सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि ''...राहगीरों से गवाही के लिए कहा गया, भलाई–बुराई के डर से कोई तैयार नहीं हुआ।...'' इस साक्षी ने उक्त संबंध में अपनी प्रति परीक्षा में कथन किया है कि ''...बरामदगी के समय जनता के लोग आ जा रहे थे। बरामदगी के बावत मैने जनता के लोगों को बताया था। इस साक्षी ने अपने सम्पूर्ण बयान में घटना स्थल के पास ही स्थित चाय की दुकान या आस–पास के मकानों के लोगों को साक्षी बनाने का प्रयास किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना का समय 20:30 बजे की है, जुलाई माह में शाम 20:30 बजे का समय ऐसा समय नहीं है कि चाय की दुकान पर कोई मौजूद न हो, न ही नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 के परिदृश्य के अनुसार घटना स्थल सुनसान जगह है। इस सम्बन्ध मे प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी पी0डब्लू–2 दिवाकर सिंह द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा मे कथन किया गया है कि बरामदगी के वक्त मैने जनता के लोगों को बताया था। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **रमज़ान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2011 (72) ए0सी0सी0 105** के मामले में कथानक को इस कारण संदेह पूर्ण माना गया है कि अभियोजन की तरफ से कोई स्वतन्त्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 मे घटना स्थल के पूरब मे विभिन्न व्यक्तियो के पक्के मकान व चाय की दुकान दर्शित की गयी है, परन्तु फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी प्रदर्श क–3 मे ऐसा कोई तथ्य वर्णित नही है कि घटना स्थल के निकट स्थित उक्त मकानो अथवा चाय की दुकान से किसी व्यक्ति को अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व ली जाने वाली जामा तलाशी हेतु गवाही के लिये कहा गया हो। फर्द मे किसी ऐसे तथ्य का भी उल्लेख नही है कि गवाही के लिये कहने पर आस पास के व्यक्तियो द्वारा गवाही से इन्कार कर दिया गया हो। घटना स्थल का परिदृश्य जैसा कि नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 मे वर्णित किया गया है, घटना स्थल पर स्वतन्त्र साक्षियो की स्वभाविक उपस्थिति प्रकट करता है, परन्तु

प्रस्तुत मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी के समय पुलिस द्वल द्वारा बरामदगी के सम्बंध में स्वतन्त्र जन साक्षी बनाये जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गई उक्त विधि व्यवस्था के दृष्टिगत प्रस्तुत मामले में भी स्वतन्त्र साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कथानक सन्देह की परिधि में है।

16. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रस्तुत मामले में थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त मो0 सारिक को मौके पर गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा कथित कोई घटना घटित नहीं हुई है तथा अभियोजन कथानक पूर्णतः मिथ्या है, अभियोजन पक्ष गवाहान की उपस्थिति घटना स्थल पर सिद्ध करने में असफल रहा है। इसलिये अभियोजन ने अभियोगी उपनिरीक्षक एस.आई. नरेन्द्र सिंह मय पुलिस बल के सम्बंधित थाने से रवानगी के सम्बंध में सामान्य दैनिकी की प्रति साक्ष्य में प्रस्तुत कर साबित नहीं कराई गई है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा **मथुरा प्रसाद मिश्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2005 सी0बी0सी0 220** के मामले में घटना स्थल पर उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु रवानगी जी0डी0/सामान्य दैनिकी को महत्वपूर्ण दस्तावेज माना है। अभियोजन की ओर तथ्य के परीक्षित एक मात्र साक्षी पी0डब्लू–2 दिवाकर सिंह द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य मे पुलिस बल की थाने से रवानगी के संबंध में कोई कथन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन कथानक के अनुसार घटना स्थल पर उपस्थित पुलिस दल के सदस्यो द्वारा घटना स्थल से पूर्व थाने से अपनी रवानगी का स्पष्ट समय उल्लिखित न किया जाना घटना स्थल पर घटना के समय उनकी उपस्थिति पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से थाने से पुलिस बल की उक्त रवानगी से सम्बंधित उपरोक्त कथित सामान्य दैनिकी को पत्रावली पर प्रस्तुत कर साबित नहीं कराया गया है और न ही उसके अप्रस्तुतीकरण का कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किया गया है। यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्था के प्रकाश मे रवानगी जी0डी0 प्रस्तुत न किये जाने से घटना स्थल पर कथित पुलिस दल की उपस्थिति संदेह की परिधि मे आती है।

17. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत घटना के कथित चक्षुदर्शी साक्षी/पुलिस बल के सदस्य का साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है। उसके द्वारा कथित घटना स्थल तथा घटना के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष घटना स्थल पर पुलिस बल के सदस्यों की उपस्थिति साबित करने में असफल रहा है। इस सम्बन्ध मे अभियोजन साक्षियो के साक्ष्य के परिशीलन विदित होता है कि अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 30.07.2011 को पुलिस

दल घटना स्थल पर मौजूद थे तथा आपस में अपराध व अपराधियों के संबंध में चर्चा कर रहे थे, तभी सन्देहन समय करीब 20.30 बजे पुलिस द्वारा नक्शा नजरी प्रदर्श क–4 मे उल्लिखित A स्थल पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी लेने पर उसके झोले से 6 अदद देशी बम बरामद हुये। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 में उल्लिखित किया गया है कि का0 दिवाकर सिंह को पास के गांव भिखनापुर भेजकर प्लास्टिक के डिब्बे में बालू व पानी मंगाकर उसमें बमों को सावधानी पूर्वक डालकर निष्क्रिय किया गया। उक्त व्यक्ति को दिवाकर सिंह द्वारा बतौर पी0डब्लू0 2 अदालत में परीक्षित होने पर इस संबंध में अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि बरामद बमों को बालू व पानी मंगा कर निष्क्रिय किया गया। इस साक्षी द्वारा अपने साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि उसके द्वारा पास के गांव में जाकर बालू व पानी लाकर बम निष्क्रिय किया गया। पी0डब्लू0 2 का उपरोक्त कथन फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 के विरोधाभाषी तथा अभियोजन कथानक के विपरीत है। अभियोजन पक्ष के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का यह विरोधाभास अभियोजन कथानक को संदेह की परिधि मे लाता है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत कथित घटना के समय घटना स्थल पर अभियोगी एवं हमराही पुलिस कर्मियों की उपस्थिति संदेहपूर्ण पायी जाती है।

चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अनुसार अभियुक्त सारिक को पुलिस बल द्वारा दिनांक 30.07.2011 को समय करीब 20.30 बजे बजे रात गिरफ्तार किया गया तथा मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 30.07.2011 को 22.35 बजे दर्ज करायी गयी है। इस प्रकार पुलिस बल को अभियुक्त की गिरफ्तारी के बाद मौके पर फर्द बरामदगी तैयार करने और घटना स्थल से थाने पर पहुंचने में कुल दो घंटे पांच मिनट का समय लगा, जबकि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–1 के अनुसार घटना स्थल से थाने की दूरी मात्र 06 कि0मी0 है और फर्द बरामदगी मात्र एक पृष्ठ की है, ऐसी स्थिति में पुलिस बल को फर्द बरामदगी तैयार करने में ज्यादा–से–ज्यादा आधा घंटा–पैतालिस मिनट का समय लगा होगा और संबंधित पुलिस बल द्वारा घटना स्थल से थाने की दूरी 06 कि0मी0 किसी भी वाहन से जाने में एक घंटा पांच मिनट का समय लगना स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह तथ्य भी अभियोजन कथानक को सदिग्ध बनाता है।

18. अभियोजन पक्ष द्वारा तर्क दिया गया कि इस प्रकरण मे भले ही तथ्य के एकल साक्ष्य परीक्षित हुआ है और उसके बयान मे छोटी मोटी विरोधाभाष प्रकट हो रहा है, परन्तु एकल साक्ष्य के आधार पर ही अभियुक्त की दोषसिद्धि की

जा सकती है। अभियोजन कथानक को साबित होने के लिए साक्षियों की संख्या महत्व नही रखती है। बचाव पक्ष द्वारा अभियोजन के उक्त तर्क का खण्डन किया गया और यह तर्क दिया गया कि यह सही है कि साक्षियों की संख्या महत्व नही रखती है, लेकिन जो साक्षी परीक्षित हो रहा है, उसके बयान की विश्वसनीयता व स्थायित्व महत्व रखता है। इस प्रकरण मे तथ्य के एक मात्र परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0 2 फर्द साक्षी के बयान में छोटा मोटा विरोधाभाष नहीं, बल्कि ऐसा विरोधाभाष है, जो एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में यह प्रभाव कर सकता है कि सम्पूर्ण अभियोग कथानक की कहानी झूंठी है।

19. उभयपक्षों के तर्को के परिप्रेक्ष्य मे पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व समय–समय पर दिये गये माननीय न्यायालय के विधिक अभिमत के साथ–साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 का अवलोकन किया गया।

At the outset we would like to observe that there cannot be any doubt in the proposition that Section 134 of Evidence Act does not require any particular number of witnesses to prove any fact. Plurality of witnesses in a criminal trial is not the legislative intent, it is not the quantity but quality which matters. Therefore, if the testimony of a witness is found reliable on the touch stone of credibility, accused can be convicted on the basis of testimony of even single witness.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Vadivelu Thevar Vs. State of Madras; AIR 1957 SC 614** में यह अवधारित किया है कि :–

"On a consideration of the relevant authorities and the provisions of the Indian Evidence Act, the following propositions may be safely stated as firmly established :

> (1) As a general rule, a court can and may act on the testimony of a single witness though uncorroborated. One credible witness outweighs the testimony of a number of other witnesses of indifferent character.
>
> (2) Unless corroboration is insisted upon by statute, courts should not insist on corroboration except in cases where the nature of the testimony of the single witness itself requires as a rule of prudence, that corroboration should be insisted upon, for example in the case of a child witness, or of a witness whose evidence is that of an accomplice or of an analogous character.

> (3) Whether corroboration of the testimony of a single witness is or is not necessary, must depend upon facts and circumstances of each case and no general rule can be laid down in a matter like this and much depends upon the judicial discretion of the Judge before whom the case comes.

"The contention that in a murder case, the Court should insist upon plurality of witnesses, is much too broadly stated."

"The Indian Legislature has not insisted on laying down any such exceptions to the general Rule recognized in Section 134 quoted above. The Section enshrines the well recognized maxim that "Evidence has to be weighed and not counted." Our Legislature has given statutory recognition to the fact that administration of justice may be hampered if a particular number of witnesses were to be insisted upon.

"It is not seldom that a crime has been committed in the presence of only one witness, leaving aside those cases which are not of uncommon occurrence, where determination of guilt depends entirely on circumstantial evidence. If the Legislature were to insist upon plurality of witnesses, cases where the testimony of a single witness only could be available in proof of the crime, would go unpunished. It is here that the discretion of the presiding judge comes into play. The matter thus must depend upon the circumstance of each case and the quality of the evidence of the single witness whose testimony has to be either accepted or rejected. If such a testimony is found by the court to be entirely reliable, there is no legal impediment to the conviction of the accused person on such proof. Even as the guilt of an accused person may be proved by the testimony of a single witness, the innocence of an accused person may be established on the testimony of a single witness, even though a considerable number of witnesses may be forthcoming to testify to the truth of the case for the prosecution."

"Generally speaking oral testimony in this context may be classified into three categories, namely (1) wholly reliable (2) wholly unreliable (3) neither wholly reliable nor wholly unreliable. In the first category of proof, the Court should have no difficulty in coming to its conclusion either way- it may convict or may acquit on the testimony of a single witness, if it is found to be above reproach or suspicion of interestedness, incompetence or subornation. In the second category, the Court equally has no difficulty in coming to its conclusion. It is in the third category of cases, that the Court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable

testimony, direct or circumstantial. There is another danger in insisting on plurality of witnesses. Irrespective of the quality of the oral evidence of a single witness, if courts were to insist on plurality of witnesses in proof of any fact, they will be indirectly encouraging subornation of witnesses. Situations may arise and do arise where only a single person is available to give evidence in support of a disputed fact. The Court naturally has to weigh carefully such a testimony and if it is satisfied that the evidence is reliable and free from all taints which tend to render oral testimony open to suspicion, it becomes its duty to act upon such testimony."(Emphasis Ours) Vadivelu Thevar case (supra) was referred to with approval in Jagdish Prasad Vs. State of M.P. (AIR 1994 SC 1251). It was held that as a general rule the court can and may act on the testimony of a single witness provided he is wholly reliable. There is no legal impediment in convicting a person on the sole testimony of a single witness. That is the logic of Section 134 of the Indian Evidence Act, 1872 (in short 'the Evidence Act'). But, if there are doubts and suspicions about the testimony of such a witness the courts will insist on corroboration. It is for the court to act upon the testimony of witnesses.Therefore, it is not the number and the quantity, rather the quality which is material. The time-honoured principle is that evidence has to be weighed and not counted. On this principle stands the edifice of Section 134 of the Evidence Act. The test is whether the evidence has a ring of truth around it, is cogent, credible and trustworthy, or otherwise.

20. इसी प्रकार विधि व्यवस्था **Lallu Manjhi Vs. State of Jharkhand, AIR 2003 SC 854** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा–10 मे यह अवधारित किया है कि :–

"The Law of Evidence does not require any particular number of witnesses to be examined in proof of a given fact. However, faced with the testimony of a single witness, the Court may classify the oral testimony into three categories, namely (i) wholly reliable, (ii) wholly unreliable, and (iii) neither wholly reliable nor wholly unreliable. In the first two categories there may be no difficulty in accepting or discarding the testimony of the single witness. The difficulty arises in the third category of cases. The Court has to be circumspect and has to look for corroboration in material particulars by reliable testimony, direct or circumstantial, before acting upon testimony of a single witness."

21. इस प्रकार उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं मे पारित विधिक अभिमत को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 के अन्तर्गत किसी

अपराध को साबित होने के लिए साक्षियों की संख्या आवश्यक नही है। इस प्रकरण में अभियोजन की तरफ से मात्र एक तथ्य का साक्षी पी0डब्लू0–2 के रूप में परीक्षित हुआ है, परन्तु उक्त साक्षी के बयान मे ऊपर किये गये परिचर्चा में पर्याप्त विरोधाभाष व विसंगतियां पायी गयी जिनको दृष्टिगत रखते हुए साक्षी का एकल बयान विश्वसनीय होना नही पाया गया। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन का उक्त तर्क कोई मायने नही रखता है।

22. उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभियोजन की ओर से घटना के सम्बन्ध मे परीक्षित कराये गये तथ्य के साक्षी का साक्ष्य न केवल विरोधाभासी है, अपितु अभियोजन कथानक के भी प्रतिकूल है तथा प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट एक पुलिस कर्मी द्वारा विलम्ब से दर्ज करायी गयी है, जिस कारण उनके साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त मो0 सारिक को घटना स्थल से गिरफ्तार नही किया गया, अपितु पुलिस द्वारा पुलिस की बेगारी न करने के कारण पकड़कर प्रस्तुत मुकदमे मे फर्जी फंसा दिया गया है। अभियुक्त के पास से किसी भी प्रकार के बम की कोई बरामदगी नही हुई है। उसे इस मुकदमे मे झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त मो0 सारिक के प्रश्नगत घटना मे संलिप्त होने के सम्बन्ध मे कोई विश्वसनीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नही किया गया है।

इस प्रकार अभियोजन की तरफ से परीक्षित साक्षीगण के बयान से अभियुक्त के विरूद्ध लगाया गया आरोप विश्वसनीय प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष का दायित्व नहीं है कि वह अपनी सफाई पेश करें। इस बिन्दु को माननीय न्यायालय द्वारा **सुनील कुन्डू एवं अन्य बनाम स्टेट आफ AIR 2014 & S.C. (सुप्रीम कोर्ट) 223 झारखण्ड** में अवधारित किया है कि–

When the prosecution is not able to prove its case beyond reasonable doubt it cannot take advantage of the fact that the accused have not been able to probablise their defence. It is well settled that the prosecution must stand or fall on its own feet. It cannot draw support from the weakness of the case of the accused, if it has not proved its case beyond reasonable doubt.

माननीय न्यायलय द्वारा **जोश व पंप्पाचन बनाम एस.आई.आफ. पुलिस ए0आई0आर0 2016. एस.सी. 4581** में अवधारित किया गया कि संदेह कदापि विकल्प में भी घटना सिद्ध होने का आधार नही हो सकता है। माननीय न्यायालय द्वारा **स्टेट बनाम महेन्द्र सिंह दाहिया ए0आई0आर0 2011 एस0सी0 1017** एवं **हरचरन सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 2011(73) ए0सी0सी0 343 एस0सी0** में

अवधारित किया गया है कि सन्देह चाहे जितना भी गहरा हो, वह सिद्ध होने के स्थान नहीं ले सकता।

23. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त मो0 सारिक से की गई बरामदगी विधि अनुसार नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा बरामदशुदा माल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया। अभियुक्त के प्रश्नगत घटना मे संलिप्त होने तथा उसकी गिरफ्तारी के बिन्दु पर साक्षी पी0डब्लू–2 के साक्ष्य का परिशीलन किया गया। साक्षी पी0डब्लू0–2 दिवाकर सिंह द्वारा अपने साक्ष्य में अभियुक्त की तलाशी लेने के पूर्व पुलिस बल के अपनी आपसी तलाशी ली गयी हो। इस संबंध में फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी प्रदर्श क–3 के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि प्रदर्श क–3 मे पुलिस दल द्वारा आपसी जामा तलाशी लिये जाने का कोई उल्लेख नही है, जो प्रकट करता हो कि अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस दल द्वारा स्वयं आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी ली गयी हो, जो कि एक आज्ञापक प्रक्रिया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले मे अभियुक्त की गिरफ्तारी से पूर्व पुलिस दल द्वारा आपस मे एक दूसरे की जामा तलाशी लेकर यह सन्तुष्टि नही की गयी कि पुलिस दल के प्रत्येक सदस्य के पास कोई अवांछित वस्तु नही है। जो विधिक प्रक्रिया के आज्ञापक प्रावधान का अपालन प्रकट करता है तथा अभियुक्त से हुई कथित बरामदगी को पूर्ण रूप से सन्देहास्पद बना देता है।

24. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्यों के आधार पर की गई उपरोक्त विवेचन में कथित घटना के समय घटना स्थल पर वादी मुकदमा एवं उसके हमराही पुलिस कर्मियों की उपस्थिति सन्देह की परिधि में है। पुलिस दल द्वारा अभियुक्त की अभिरक्षा 06 अदद देशी बम बरामद किया जाना सन्देह की परिधि में है। अभियुक्त मो0 सारिक की घटना में संलिप्तता सन्देहपूर्ण पाई गई है, स्वतन्त्र साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कथानक सन्देहपूर्ण पाया गया है। अतः माननीय उच्चतम् न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दी गई विधि व्यवस्थाओं के प्रकाष में पत्रावली पर दाखिल अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियोजन पक्ष युक्ति–युक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है कि दिनांक 30.07.2011 को समय 20:30 बजे सायं, बहद स्थान भिखनापुर तिराहा थाना नवाबगंज जिला प्रयागराज के अन्तर्गत अभियुक्त मो0 सारिक की अभिरक्षा से 06 अदद देशी बम बरामद किया गया हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियुक्त मो0 सारिक कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम को सभी युक्तियुक्त संदेहो से परे सिद्ध करने मे असफल रहा है

तथा अभियुक्त उक्त आरोपो मे संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

1. अभियुक्त मो0 सारिक को सत्र परीक्षण संख्या 1134/2014 मुकदमा अपराध संख्या 314/2011 थाना नवाबगंज, जिला प्रयागराज/इलाहाबाद अन्तर्गत धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोप से दोष–मुक्त किया जाता है।

2. विचारण के दौरान अभियुक्त मो0 सारिक जमानत पर रहा है, उसके जमानतनामें तथा बन्धपत्र निरस्त किए जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3. द0प्र0सं0 की धारा 437ए के प्राविधानों के अनुपालन में अभियुक्त को मु0 20,000/–, रूपये (बीस हजार रूपये) का बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की एक प्रतिभू इस निर्णय से पन्द्रह दिन की अवधि के अन्दर न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जाता है।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 21.07.2026

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर खुले न्यायालय मे उद्घोषित किया गया।

(अनुराधा पुण्डीर)
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट सं. 2, प्रयागराज
J.O. Code No. UP 6343

दिनांक 21.07.2026

Digitally signed by ANURADHA PUNDIR
Date: 2026.07.25 15:11:01 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court